

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 1985

का.नि.आ. 235:--यतः माध्यस्थ्य मसिति की प्रक्रिया को विनियमित करने से सम्बन्धित कतिपय नियमों का एक प्राश्न, जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 280 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4, 27 अप्रैल, 1985 में, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 72, तारीख 10 अप्रैल, 1985 के साथ प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 60 दिन की अवधि समाप्त होने तक उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उम्रने प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व केन्द्रीय सरकार को कोई आक्षेप व सुझाव प्राप्त नहीं हुए है।

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 280 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा माध्यस्थ्य मसिति की प्रक्रिया को विनियमित करने से सम्बन्धित, निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (माध्यस्थ्य मसितियों की प्रक्रिया का विनियमन) नियम, 1985 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक कि विषय या उद्देश से कोई बात प्रतिकूल न हो--

(क) 'अधिनियम' से छावनी अधिनियम, 1924 अभिप्रेत है,

(ख) 'छावणी' से अधिनियम की धारा 262 के अधीन गठित माध्यस्थ्य समिति अभिप्रेत है,

(ग) ऐसे शब्दों और पदों के जो इन नियमों प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

(4) माध्यस्थ्य आवेदन फाइल करने के लिए प्रक्रिया:—ऐसे प्रत्येक मामले जहाँ अधिनियम के अधीन किसी अधिकार का संदाय करने के बोर्ड के दायित्व के बारे में या इस प्रकार संदेय कितनी प्रतिकर की रकम के बारे में कोई असहमति है, तो ऐसे प्रतिकर का दावा करने वाला व्यक्ति कार्यपालक अधिकारी को माध्यस्थ्य के लिए निम्नलिखित विनिर्देश देते हुए, एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:—

(1) अपने मामले की पूर्ण विवरणी और उसके दावे का आधार,

(2) मूल माध्यस्थ्य करार यदि कोई है जिससे या जिसके संबंध में विवाद पैदा हुआ है या दस्तावेज या जानकारी जो संगत है या ऐसी कोई जिसका अवलम्ब लिया जा सकता है।

(5) बोर्ड का निर्देश:—नियम के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर कार्यपालक अधिकारी विवादार्थ मामले का अवधारण करने के लिए समिति का संघोजन करने के लिए, इस बोर्ड को निर्देशित करेगा। साथ ही साथ वह बोर्ड के मामले का उल्लेख करते हुए एक प्रतिउत्तर तैयार करेगा जिसके साथ ऐसी सभी दस्तावेज और सूचना होंगी, जिसका मामले से संबंध है।

(6) आवेदक को भेजा जाने वाला प्रत्युत्तर:—कार्यपालक अधिकारी सभी अनुलम्बक दस्तावेजों, यदि कोई हों, पर प्रत्युत्तर की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जानकारी के लिए आवेदक को भेजेगा।

(7) आवेदक द्वारा भेजे जाने वाले उत्तर का विवरण:—आवेदक प्रत्युत्तर की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर, या बढ़ाए गए ऐसे समय के अन्दर जो ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, समिति द्वारा मंजूर किया जाए, प्रत्युत्तर के उत्तर में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

(8) दस्तावेजों का पांच प्रतियों में होना:—पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी कथन उत्तर और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्र और सभी अनुलम्बक दस्तावेजों पांच प्रतियों में होंगी।

(9) माध्यस्थ्य की नियुक्ति को चुनौती दिया जाता:—किसी भी पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह माध्यस्थ्य की नियुक्ति की सूचना की प्राप्ति पर उसकी नियुक्ति को ऐसे कारणों से चुनौती दे सकता है जो माध्यस्थ्य को निरहित करते हैं। ऐसी चुनौती देने वाले पक्षकार को उसकी नियुक्ति संबंधित किए जाने के तीस दिन के अन्दर या पक्षकार को ऐसे कारणों की जिनसे चुनौती दी जाती है, जानकारी होने के तीस दिन के अन्दर ऐसी चुनौती दी जाएगी। चुनौती की संसूचना की प्रतिया अन्य पक्षकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

(10) पक्षकारों की सुनवाई:—समिति पक्षकारों सुनवाई के पश्चात् लिखित कथनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर निर्देश का विनिश्चय कर सकेगा।

(11) पक्षकारों द्वारा उपसंज्ञात होना:—सुनवाई में कोई भी पक्षकार या तो व्यक्तिगत रूप से स्वयं या अपने काउन्सेल या सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंज्ञात होने का हकदार होगा।

(12) समिति की प्रक्रिया:—समिति निर्देश के संबंध में इस बात के होते हुए भी कार्यवाई कर सकेगी कि कोई भी पक्षकार या पक्षकार समिति के किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहा है या रहे है और ऐसे किसी पक्षकार या दोनों पक्षकारों की अनुपस्थिति में, जो समिति द्वारा नियत समय और स्थान पर हाजिर होने में असफल रहे हैं, निर्देश के संबंध में एकपक्षीय रूप से भी कार्यवाई कर सकेगी।

(13) अधिनियम का चारमास में किया जाना:—समिति निर्देश पर कार्यान्वयन की तारीख से चार मास के अन्दर या बढ़ाए गए ऐसे समय के अन्दर, जिसके लिए पक्षकार सहमत हों, अधिनियम करेगी। जहाँ कोई अधिनियम किया जाता है, वहाँ कार्यपालक अधिकारी अधिनियम की एक सही प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आवेदक को देगा।

(14) फीस का अधिनियमित किया जाना:—समिति, माध्यस्थ्य से उद्भूत होने वाले किसी मामले की बाबत समिति द्वारा उपगत साक्षियों की फीस और व्यय, विधिक या तकनीकी सलाह या कार्यवाहियों का खर्चा और निर्देश या अधिनियम के संबंध में या उससे उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य आनुषंगिक व्यय और प्रभार जो समिति अपने विवेकानुसार ठीक समझे अनुज्ञात करने की हकदार होगी।

(15) खर्चों का अधिनियमित किया जाना:—निर्देश और अधिनियम के खर्च, जिनके अंतर्गत प्रभार फीस और अन्य व्यय भी है, समिति के विवेकानुसार होंगे, जो इस बाबत निर्देश दे सकेगी कि किसी के द्वारा और किस रीति में और किस अनुपात में ऐसे प्रभार फीसों और अन्य व्यय या उनके कोई भाग वहन और संदत्त किए जायेंगे।

(16) ऐसे विषयों की बाबत जिनके संबंध में इन नियमों में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं दिया गया है, भारतीय माध्यस्थ्य अधिनियम, 1940 के उपबंध लागू होंगे।

[फाइल संख्या पी. तो. 12/6/सूच छा./82/5537/डी (क्यू. एण्ड सी.)]

करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 31st October, 1985

S.R.O. 235.—Whereas a draft of certain rules relating to the regulation of procedure of Committees of Arbitration which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, S.R.O. No. 72 dated the 10th April, 1985, in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 27th April, 1985, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification.

And whereas no objections and suggestions have been received by the Central Government; within the stipulated period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 280 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to the regulations of procedure of Committees of Arbitration :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Cantonments (Regulation of Procedure of Committees of Arbitration) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) Definitions :—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "The Act" means the Cantonments Act, 1924.

(b) "Committee of Arbitration" constituted under section 262 of the Act;

(c) words and expressions used in these rules, but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

(4) Procedure for filling an arbitration application :—In every case, where there is a disagreement as to the liability of the Board to pay any compensation under the Act or as to the amount of any compensation so payable, the person claiming such compensation shall submit an application for arbitration to the Executive Officer specifying therein :—

(i) full details of his case and the basis of his claim;

(ii) original of the arbitration agreement, if any, out of or in connection with which the dispute has arisen or any documents or information relevant or relied upon.

(5) Reference to the Board :—On receipt of an application under rule 4, the Executive Officer shall refer it to the Board for convening a committee to determine the matter in dispute. At the same time, he shall prepare a rejoinder setting out the Board's case accompanied by all documents and information having a bearing on the matter.

(6) Rejoinder to be sent to the applicant :—The Executive Officer shall send a copy of the rejoinder and all the

appended documents, if any, by registered post, to the applicant for information.

(7) Statement of reply to be sent by the applicant :—The applicant may, within thirty days of the receipt of the rejoinder or within such extended time as may be granted by the Committee for reasons to be recorded in writing submit a statement in reply to the rejoinder.

(8) Documents to be in quintuplicate :—All statements, replies and other documents and papers submitted by the parties and all appended documents shall be in quintuplicate.

(9) Challenge to the appointment of the arbitrator :—Any party shall have the right to challenge the appointment of an arbitrator on receipt of the notice of his appointment for reasons which disqualify the arbitrator. Such challenge shall be made within thirty days after his appointment has been communicated to the challenging party, or within thirty days of the party becoming aware of the reasons for which the challenge is made. Copies of the communication of challenge shall be sent to the other party and the District Magistrate.

(10) Hearing of parties :—The committee may decide the reference on the written statements and documents accompanying them after hearing the parties.

(11) Appearance by parties :—At a hearing, a party shall be entitled to appear either himself personally or through his counsel or a duly authorised representative.

(12) Procedure for the Committee :—The Committee may proceed with the reference notwithstanding any failure by a party or parties to comply with any of the directions of the committee and may also proceed ex-parte with the reference in the absence of any or both the parties who fail to attend at the time and place appointed by the committee.

(13) Award to be made in four months :—The Committee shall make an award within four months from the date of entering on the reference or within such extended time as the parties may agree. Where an award has been made, the Executive Officer shall furnish a true copy of the award to the applicant by registered post.

(14) Fees to be awarded :—The committee shall be entitled to allow fees and expenses of witnesses, cost of legal or technical advice or proceedings in respect of any matter arising out of arbitration, incurred by the committee and any other incidental expenses and charges in connection with or arising out of the reference or award as the committee shall in its discretion deem fit.

(15) Cost to be awarded :—The costs of the reference and the award including charges, fees, and other expenses shall be in the discretion of the committee, which may direct as to by whom, and in what manner and in what proportion such charges, fees and other expenses or any part thereof shall be borne and paid.

(16) In respect of matters not specifically provided for in the rules, the provisions of the Indian Arbitration Act 1940 shall apply.

[File No. PC 12/6/C/L&C[82]5537-D(Q&C)]  
KARTAR SINGH, Under Secy.